

कृषक विभाग
हिमाचल प्रदेश
सूखम सिंचाई योजना
आवेदन पत्र
(बिना मूल्य के)

कृषक की पासपॉर्ट की फोटो र
Affix Photo of F

सूखम सिंचाई योजना के अन्तर्गत ड्रिप (टपक) /छोटा सिंकलर/ सूखम सिंकलर (फ्लार) / पोर्टबल /दीर्घाकार सिंकलर सिंचाई इकाई स्थापित करने के लिए सहायता हेतु प्रार्थना पत्र

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु	
प्रार्थना पत्र संख्या :	आवेदन की तिथि:
	दस्तावेज़ जांचने की तिथि :
	प्रविष्टि-तिथि :

(कृषक द्वारा भरने हेतु)

1. सामान्य सूचना

पिता का नाम : _____ श्रेणी _____ (अनु.जनजाति / अनु.जाति /
वर्ग / सामान्य श्रेणी)

पता: गांव : _____ डाकोता : _____ , तहसील : _____

पिन कोड: _____, दूरभाष नं. एस.टी.डी. कोड सहित _____

मोबाइल नं.: _____

आधार कार्ड नं.: - _____

पुरुष / स्त्री _____ शारीरिक अक्षमता (हाँ / नहीं) _____

2. बैंक खाता विवरण:

2.1 बैंक खाते में कृषक का नाम : _____

2.2 खाता संख्या : _____

2.3 बैंक का नाम एवं शाखा का पता : _____

2.4 आई.एफ.एस.सी.कोड _____

3. कृषक की कुल भूमि का विवरण

क्र.सं.	गांव का नाम	विकास खण्ड	खसरा नं०	हैवटेयर	फसल
कुल भूमि(हेक्ट.)					

4. पानी के स्रोतों का विवरण :- टैक / उच्चला कुंडा / उच्चला नलकूप / लघु या मध्यम उठाऊ योजना :

क) पानी के स्रोत वाले खेत का खसरा नं.: _____
ख) बांछित इलेक्ट्रिक नोटर की हार्से पावर _____

या डीजल / मिट्टी तेल चालित इन्जन की हार्से
पावर _____

ग) पम्प हैड _____
घ) डिलीवरी हैड: _____ (मीटरों में) पाईप का छास.

उ.) जल पफड़ाण टैक का निर्माण (लचाई X चौड़ाई X गहराई) मीटरों में घनमीटर
(जल पफड़ाण टैक का निर्माण अनिस्त्रण द्वारा राज्य योजना -निपट एवं बोर देल सिंचाई योजना के लिए
उपयोग के अन्तर्गत किया जावेगा)

5. उपलब्ध स्रोत के जल की गुणवत्ता:

अद्भुत / खारा

6. इस आवेदन से पहले स्थापित की गई सूझा सिंचाई योजना का विवरण, यादि स्थापित की है :

क्र. सं.	खसरा नं.	स्रोत का विवरण जिसमें स्थापित योजना की श्रेणी है	सेवा प्रदायक कम्पनी का कम्पनी विवरण	इकाई करने का वर्ष	प्राप्त की अनुदान राशि
		(हिकट)			

7. अपेक्षित सूझा सिंचाई योजना का विवरण :

क्र. सं.	खसरा नं.	स्रोत का विवरण जिसमें सूझा अपेक्षित योजना दूरी (मी. X फैसल विवरण की श्रेणी है (हिकट)

8. विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनी : मैं

9. मैं सेवा प्रदायक कम्पनी के साथ एप्रील-न के समय सूझा सिंचाई प्रणाली स्थापित करने हेतु कुल स्वीकृत याशि 20 प्रतिशत लागतर्थी अवधारणा की राशि को प्रीप्लाइट०० या समविधित कम्पनी के पक्ष में बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में के लिए सहमत हूँ ।

10. यदि मैं सूझा सिंचाई इकाई स्थापित करने हेतु नाली ऊनन/सिविल कार्ब लिजार्डन के लानुरुप संयं करता हूँ किये गये कार्बों की अवधारणा की विवाद हुए की जावे या उसे मैं 20 प्रतिशत याशिता में समाचोक्षित किया जा यदि नाली ऊनन/ सिविल कार्ब सेवा प्रदायक कम्पनी द्वारा किये जाने की स्थिति में उस कार्य की अवधारणा कम्पनी को करने के लिये भी सहमत हूँ ।

11. मैं योजना से सम्बन्धित निर्माण सामग्री को सड़क से योजना खल तक पहुँचाने का खर्च स्वयं वहन करने के लिए सहमत हूँ ।

12. मैं सेवा प्रदायक कम्पनी के नार्मिलिनियुसर फिल्टर फार्मिलिन टैक और हैडक्ट्रोल इकाई कराने के लिए प्लोटफार्म सहित उनसे सम्बन्धित सभी स्थिति कार्ब करने के लिए तैयार हूँ तथा उनके निमाण पर आने वाला :
भी स्वयं वहन करना/ करानी ।

13. मैं परियंग संयंत्र को चलाने के लिए उपयुक्त पम्प-यूनिट एवं प्रयाप्त मात्रा में विजली अपने खर्च पर उपयोग करवाऊंगा/ करवाऊंगी ।

14. मैं सूझा सिंचाई योजना के निर्माण एवं उसके परिक्षण के समय स्वयं उपस्थित रहूँगा / रहूँगी अन्यथा किसी अन्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने व इस सन्दर्भ में स्थिरत हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत कराना/ करानी ।

15. सूक्ष्म सिंचाई योजना के सफल परिणाम के बाद मैं योजना को सेवा प्रदाता कम्पनी से अधीग्रहित करके इस सत्रुटि प्रमाण पत्र विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप जारी कर दूँगा/दूरी ।
16. मैं सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सूक्ष्म सिंचाई योजना को सुचारू रूप से चलाने और उसके एवं रखाव हेतु नियमों का पूर्णतः पालन करकंगा / करलंगा ताकि योजना प्रभावी रूप से सफल हो सके ।
17. उपरेक्ष्ट योजना के सत्तर्व में मैं किसी भी प्रकार की इंटी शिकायत/दावा या विपरीत परिस्थिति उं कठंगा / करलंगी और इस सत्तर्व में सभी मतभेदों और झगड़ों को आनीय स्तर पर सञ्चित विभाग/ अधिकारी / सूक्ष्म सिंचाई योजना प्रदाता कम्पनी के साथ आपसी सहनीति से सुलझाने की कोशिश करुंगा ।
18. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना को अपनी पंसदिदा सेवा प्रदाता कम्पनी जिसे विभाग ने राजीव गांधी सूक्ष्म सिंच के अन्तर्गत मनोनीत किया हो, द्वारा खापित करने के लिए सहमत हूं और उस सेवा प्रदाता कम्पनी सिंचाई योजना का खर्च प्रदान करने के लिए भी तैयार हूं ।
19. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना का आगामी दस वर्षों तक देखभाल करने के लिए सहमत हूं और इस अवधि में¹ योजना को न तो बेचुंगा और न ही बदलूँगा । किसी भी उल्लंघन की स्थिति में भी प्रदत अनुदान राशि क खाते में वापिस करने हेतु वाल्य रहूँगा ।
20. मेरे किसी भी कृत्य द्वारा औजारों या उपकरणों को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान हेतु विभाग या² कम्पनी जिसेवार नहीं होंगे ।
21. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के विषय में किसी भी प्रकार का धारणाओंधिकार (lien) / आरोप (charge) कठंगा, और न ठीं योजना को आंशिक या पूर्ण रूप से हस्तांत्रित करुंगा ।
22. मैं राजीव गांधी सूक्ष्म सिंचाई योजना के सन्दर्भ में विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा अनुसरण करने को तैयार हूं ।
23. मैं सूक्ष्म सिंचाई योजना के अन्तर्गत निर्भित किये जाने वाले जल भण्डारण टैक का निर्माण निर्धारित³ 14 अवधि में तथा लघु या मध्यम जल उतार इकाई, उथले कुंए या उथले नलकूप का निर्माण निर्धारित 1 पूर्ण करने के लिए सहमत हूं ।
24. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं सही हैं, तथा किसी भी सूचना के भ्रामव पर योजना हेतु विभाग से ली गई अनुदान राशि सरकार को वापिस करने हेतु वाल्य रहूँगा ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर नाम दिना

निम्नलिखित दस्तावेजों की सही प्रतिलिपि संलग्न की जाती है :-

1 राजस्व रिकार्ड (तेतिमा व जमाबन्दी की प्रति सञ्चित पटवारी द्वारा जारी की गई) की मूल प्रति ।

2 राशन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति ।

3 आधार कार्ड/पहचान प्रमाण पत्र की स्वयं सत्यापित प्रति

4 वैक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाता प्रति (नाम व पूछ पता) ।

10	सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से कुशल सिंचाई योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हो इस योजना का लाभ लेने ले लिए पात्र हैं।	इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाईयों की स्थापना के लिए नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है तथा जल स्रोत विकसित करने के लिए नियमानुसार अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान राशि प्रदान की जाती है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है।	जोत-क्षेत्र सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाई स्थापित की जानी प्रस्तावित की गई है का ततिमा एवं जमाबंदी की प्रति तथा भू-मालिकाना हक हिस्सेदारी में होने पर अन्य हिस्सेदारों का अनापति प्रमाण पत्र की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	जिसमें सूक्ष्म/टपक सिंचाई इकाई के भू-संरक्षण कृषि विकास अधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता के कार्यालय या उपमण्डलीय भू-संरक्षण अधिकारी के कार्यालय या हर जिला में उप कृषि निदेशक के कार्यालय को अपने आवेदन भेज सकते हैं।
----	---	---	--	---------------------------	--	---